1

पत्रांक–5 / 2029 आ0–01 / 2015–16–........849(5)......... / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

फैक्स / ई–मेल

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
गोपालगंज।

पटना–15, दिनांक– 29/03/2016

विषय :– **मुख्य शीर्ष 2029–भू राजस्व 104–सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध–0001–राजस्व प्रशासन पर व्यय माँग संख्या–40 विपत्र कोड–एन 2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन एवं भत्ते मद में व्यय हेतु 2,56,07,500/– (दो करोड़ छप्पन लाख सात हजार पाँच सौ) रूपया मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत आपके पत्र संख्या–619 / रा0 दिनांक–17.03.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106 एवं 0107 वेतन एवं भत्ते योग मद में कुल 2,56,07,500/– (दो करोड़ छप्पन लाख सात हजार पाँच सौ) रूपया मात्र आवंटित की जाती है।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में की जायेगी।

3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0 (2)दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–396 / वि0 दिनांक–24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।

5. वर्ष 2014–15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान 2015–16 के बजटीय उपबंध / आवंटन के सबंधित शीर्ष / विषयशीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है।

6. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एंव तिथि के साथ अगले महीने के 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

7. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक—.......89 (S).......⁄रा0, पटना—15, दिनांक—29/03/2016
प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—.......89 (S).......⁄रा0, पटना—15, दिनांक—29/03/2016
प्रतिलिपि :— वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना ⁄ सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :— ....89 (S).......⁄रा0, पटना—15, दिनांक :—29/03/2016
प्रतिलिपि :— विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।